In,

The court of Sub-Judge 1st, Patna City

T.S.-67/21

24-02-2022 वादी की ओर से हाजरी दी गयी है। वाद में पुकार कराया गया। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता वाद में उपस्थित हुए। वादी अपने दाखिल आवेदन पत्र दिनांक 07-02-2022, U/o 23 Rule 1 C.P.C. को संचालित कर निवेदन करते है कि न्यायालय के बाहर उभय पक्षों के बीच आपसी समझौता हो गया है तथा वादी वाद को आगे नहीं ले जाना चाहते है तथा विवाद से संबंधित सभी प्रक्रिया हल कर ली गयी है अतः बिना शर्ते वाद पत्र को वापस करने का आदेश दिया जाए।

वादी के विद्वान अधिवक्ता का सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वाद में प्रतिवादी की उपस्थिति नहीं हुई है तथा वाद अभी प्रारंभिक अवस्था में है। तथा वादी की ओर से दाखिल आवेदन पत्र शपथ—युक्त है। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन पत्र 07-02-2022, U/o 23 Rule 1 C.P.C. न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है तथा वापसी के आधार पर वाद का निष्पादन किया जाता है। कार्यलय लिपिक नियमानुसार वाद पत्र को वादी को समर्पित करावे तथा अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करावे।

अवर न्यायाधीश, प्रथम

पटना सिटी